Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

हिन्दू महिलाओं से सम्बद्ध सामाजिक विधानों के प्रति महिलाओं में जागरूकता : एक समाजशास्त्रीय अनुशीलन

डॉ. उदयवीर सिंह
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, के.के. (पी.जी.) कॉलेज, इटावा,उत्तर प्रदेश।

Article Info

Publication Issue :
January-February-2023
Volume 6, Issue 1
Page Number : 25-30
Article History
Received : 10 Jan 2023
Published : 25 Jan 2023

शोधसारांश – सामाजिक विधानों के प्रति हिन्दू महिलाओं की जागरूकता का अध्ययन करने के लिए जाति, उम्र, शिक्षा, आर्थिक स्तर, वैवाहिक स्तर तथा ग्रामीण नगरीय परिवेश को विभिन्न संकेतक मानकर तथ्य संकलित करने का प्रयास किया गया है। उक्त तथ्यों के विश्लेषण करने के पश्चात् स्पष्ट होता है कि सामाजिक विधानों के प्रति जागरूकता अधिक न होने के कारण हिन्दू महिलाएँ विशिष्ट सामाजिक विधानों से कम लाभान्वित हो पा रही हैं। अर्थात् महिलाओं में सामाजिक विधानों की जानकारी की अत्यन्त आवश्यकता है।

मुख्य शब्द – हिन्दू, महिला, सामाजिक, विधान, समाजशास्त्रीय।

आधार पीठिका – समकालीन भारतीय समाज एक संक्रांति के दौर से गुजर रहा है। साम्प्रत हमारे परम्परागत मूल्य, मान्यताएँ, आदर्श एवं नैतिक प्रतिमान अपने स्वरूप खोकर संक्रमणशील परिस्थितियों से गुजरते हुए समाज पर भी आघात कर रहे हैं। फलस्वरूप महिला वर्ग के शोषण एवं उत्पीड़न में वृद्धि हो रही है जिससे वे बदलती विषम परिस्थितियों के साथ सामंजस्य न कर पाने के कारण उनकी भूमिका संघर्षों में वृद्धि हुई है। इन उभरती परिस्थितियों में समाजशास्त्रियों ने नीतियों तथा सत्ता द्वारा महिलाओं के अधिकारों एवं कर्तव्यबोध की भावनाओं को विकसित एवं अभिप्रेरित किया है और अधिकारों की रक्षार्थ समय–समय पर आवश्यकता के अनुरूप नवीन सामाजिक विधानों का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित भी किया है।

सामान्यतः सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए निर्मित कानूनों तथा अधिनियमों को ही लोग सामाजिक विधान मान लेते हैं। इस अर्थ में इन्हें अन्य विधानों से पृथक कर पाना कठिन हो जाता है। समाज में पायी जाने वाली कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिये निर्मित सामाजिक अधिनियम ही सामाजिक विधान कहे जाते हैं जिनका मौलिक उद्देश्य समाज सुधार द्वारा समाज कल्याण करना होता है। इस सम्बन्ध में होल्म्स पी.के. (1956) ने लिखा है कि– "आज का विधान कल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होता है। विधान जो वर्तमान कानूनों तथा समकालीन समाज की आवश्यकताओं की खाई को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, वे ही सामाजिक विधान कहलाते हैं।"

भारतीय समाज वर्तमान में तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है। फलस्वरूप सामाजिक विधानों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विधान बनाकर महिला जगत में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के समाधान के प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न सामाजिक अधिनियमों से विशेषकर भारतीय हिन्दू समुदायों

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

में अनेक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। विशेषकर महिलाओं के सन्दर्भ में जो कि सैकड़ों वर्षों से अजागरूकता के कारण पीड़ा सहती आ रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न सामाजिक विधानों के प्रति महिलाओं में जारूकता जनित की जाये। प्रस्तुत शोध पत्र हिन्दू महिलाओं से सम्बद्ध सामाजिक विधानों के प्रति महिलाओं में जागरूकता का अनुशीलन करने का एक लघु प्रयास है।

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू महिलाओं से सम्बद्ध सामाजिक विधानों के प्रति महिलाओं में जागरूकता का समाजशास्त्र में अनुशीलन करना है जिसके गौण उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. निदर्शितों की वैयक्तिक, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी करना है।
2. सामाजिक विधानों के प्रति निदर्शितों में जागरूकता की स्थिति का अध्ययन करना है।
3. निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन पद्धति –प्रस्तुत सूक्ष्म आनुभविक अध्ययन को सम्पादित करने के लिए उ.प्र. के मैनपुरी जनपद में 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक की अवधि में पंजीकृत तहसील न्यायालयीन कुल 401 प्रकरणों में से कुल 300 विवाहित महिलाओं के प्रकरणों का चुनाव किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु सामाजिक सर्वेक्षण की साक्षात्कार अनुसूची विधि की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रविधि तथा असहभागी अवलोकन को अपनाया गया है ताकि तथ्यात्मक निष्कर्ष प्राप्त हो सकें। अध्ययन हेतु साँख्यिकी की विश्लेषण पद्धति को अपनाया गया है।

तथ्य संकलन साँख्यकीय विश्लेषण एवं निर्वचन–

तालिका नम्बर–1 : निदर्शितों की वैयक्तिक एवं सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

क्रमांक	निदर्शितों की आवृत्तियाँ (प्रतिशत)					योग
	परिवर्त्य					
1	आयु (वर्षों में)	20–30 45 (15.00)	30–40 95 (31.66)	40–50 110(36.66)	50 से ऊपर 50 (16.66)	300 (100.00)
2	वैवाहिक स्थिति	विवाहित 78(26.00)	विधवा 112(37.33)	तलाकशुदा 110(36.66)	–	300 (100.00)
3	शैक्षणिक स्तर	अशिक्षित 30 (10.00)	स्कूल स्तर 88 (21.33)	कॉलेज स्तर 172(57.33)	–	300 (100.00)
4	जाति/वर्ग	सामान्य 168(56.00)	पिछड़ी 95 (31.66)	अनु.जाति 37 (12.33)	–	300 (100.00)
5	आय वर्ग	उच्च 175(58.33)	मध्यम 95 (31.66)	निम्न 30 (10.00)	–	300 (100.00)
6	परिवेश	ग्रामीण 35 (11.66)	नगरीय 155(51.66)	कस्बाई 110(36.66)	–	300 (100.00)
7	परिवार का स्वरूप	संयुक्त 120(40.00)	एकाकी 180(60.00)	विस्तारित 00 (00.00)	–	300 (100.00)

(नोट– कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।)

उक्त तालिका नम्बर–1 महिला निदर्शितों की सामाजिक–आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालती है।

तालिका नम्बर–2 : जाति सापेक्ष निदर्शितों में सामाजिक विधानों के प्रति जागरूकता

क्रमांक	जाति सापेक्ष	जागरूकता			योग
		उच्च	मध्यम	निम्न	
1	सामान्य	90 (50.00)	87 (48.33)	03 (1.67)	180 (100.00)
2	पिछड़ी	35 (58.33)	20 (33.33)	05 (4.17)	60 (100.00)
3	अनु.जाति	25 (41.66)	30 (50.00)	05 (4.17)	60 (100.00)
	योग	150 (50.00)	137 (45.66)	13 (4.33)	300 (100.00)

उपरोक्त तालिका नम्बर–2 के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित 300 निदर्शितों में से सवर्ण जाति की 180 महिला निदर्शितों में से 90 (50.00) उच्च जागरूक, 87 (48.33) मध्यम जागरूक, 3 (1.67) में निम्न जागरूकता पाई गई। पिछड़ी जाति की 60 निदर्शितों में से 35 (58.33) उच्च जागरूक, 20 (33.33) मध्यम जागरूक तथा 05 (4.17) में निम्न जागरूकता पाई गई। अनुसूचित जाति की 60 निदर्शितों में 25 (41.66) उच्च जागरूक, 30 (50.00) में जागरूकता का मध्यम स्तर तथा 05 (4.17) में निम्न जागरूकता पाई गई। स्पष्ट है कि सामाजिक विधानों के प्रति जाति सापेक्ष जागरूकता में वृद्धि हुई है।

तालिका नम्बर–3 आयु सापेक्ष निदर्शितों में सामाजिक विधानों के प्रति जागरूकता

क्रमांक	आयु सापेक्ष	आवृत्तियाँ		योग
		जागरूक	अजागरूक	
1	20 – 30	54 (56.25)	42 (46.15)	96
2	30 – 40	79 (60.76)	51 (40.8)	130
3	40 – 50	21 (35.00)	39 (70.90)	60
4	50 से ऊपर	7 (63.63)	7 (63.63)	14
	योग	161 (53.33)	139 (46.33)	300

उपरोक्त तालिका नम्बर–3 के तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि 30–30 वर्ष के बीच आयु वर्ग की निदर्शित 96 महिलाओं में 54 (56.25) जागरूक तथा 42 (46.15) अजागरूक, 30–40 आयु वर्ग की 130 निदर्शित महिलाओं में 79 (60.76) जागरूक तथा 51 (40.8) अजागरूक, 40–50 आयु वर्ग की 60 निदर्शित महिलाओं में 21 (35.00) जागरूक तथा 39 (70.90) अजागरूक, 50 से ऊपर आयु की निदर्शित 14 महिलाओं में 7 (63.63) जागरूक तथा 7 (63. 63) अजागरूक पाई गई।

तालिका नम्बर–4 शैक्षणिक स्तर के सापेक्ष महिला निदर्शितों की सामाजिक विधानों के प्रति जागरूकता की स्थिति

क्रमांक	शैक्षिक स्तर	अभिवृत्तियाँ			योग
		जागरूक	अजागरूक	कोई उत्तर नहीं	
1	निरक्षर	03 (5.76)	43 (82.69)	06 (11.53)	52
2	स्कूल स्तर	12 (14.11)	69 (81.17)	04 (4.70)	85
3	कॉलेज स्तर	96 (58.89)	60 (36.80)	07 (4.29)	163
	योग	111 (37.00)	172 (59.33)	17 (5.66)	300

उपरोक्त तालिका नम्बर–4 के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि निदर्शित 52 निरक्षर सूचनादाताओं में 3 (5.76) जागरूक, 43 (42.69) अजागरूक तथा 6 (11.53) ने कोई उत्तर नहीं दिया। स्कूल स्तर पर निदर्शित 85 सूचनादाताओं में 12 (14.11) जागरूक, 69 (81.17) अजागरूक तथा 4 (4. 70) ने कोई उत्तर नहीं दिया। कॉलेज स्तर पर निदर्शित 163 सूचनादाताओं में 96 (58.89) जागरूक, 60 (36.80) अजागरूक तथा 07 (4.'29) ने कोई उत्तर नहीं दिया। स्पष्ट है कि कॉलेज स्तर तक पढ़ी–लिखी महिला निदर्शित सामाजिक विधानों के प्रति अधिक जागरूक हैं।

तालिका नम्बर–5 आर्थिक स्तर के सापेक्ष सामाजिक विधानों के प्रति जागरूकता

क्रमांक	आर्थिक स्तर	जागरूकता आवृत्तियाँ			योग
		जागरूक	अजागरूक	निष्क्रिय	
1	उच्च	140 (77.77)	40 (22.22)	00 (00.00)	180
2	मध्यम	40 (66.66)	20 (33.33)	00 (00.00)	60
3	निम्न	25	35	00	60

		(41.66)	(58.33)	(00.00)	
	योग	185 (61.66)	115 (38.33)	00 (00.00)	300

उपरोक्त तालिका नम्बर–5 के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उच्च आर्थिक स्तर के 180 निदर्शितों में 140 (77.77) जागरूक, 40 (22.22) अजागरूक पाए गए। मध्यम आर्थिक स्तर के 60 निदर्शितों में 40 (66.66) जागरूक तथा 20 (33.33) अजागरूक पाए गए। निम्न आर्थिक स्तर के 60 निदर्शितों में 25 (41.66) जागरूक तथा 35 (58.33) अजागरूक पाए गए। स्पष्ट है कि उच्च आर्थिक स्तर पर सामाजिक विधानों के प्रति जागरूकता का स्तर अधिक है।

तालिका नम्बर–6 परिवेश सापेक्ष निदर्शितों में सामाजिक विधानों के प्रति अभिमत

क्रमांक	परिवेश	अभिवृत्तियाँ			योग
		जागरूक	अजागरूक	अनुत्तरित	
1	नगरीय	22 (62.85)	8 (22.85)	5 (14.28)	35
2	ग्रामीण	90 (43.90)	102 (49.75)	13 (6.34)	205
3	कस्बाई	24 (40.00)	34 (56.66)	2 (3.00)	60
	योग	136 (45.33)	144 (48.00)	20 (6.66)	300

उक्त तालिका नम्बर–6 के तथ्यों से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित 300 महिलाओं में 35 नगरीय, 205 ग्रामीण तथा 60 कस्बाई परिवेश से चुनी गई हैं। कुल 300 निदर्शितों में से 136 (45.30) जागरूक, 144 (48.00) अजागरूक तथा 20 (6.66) निदर्शितों ने कोई उत्तर नहीं दिया।

तालिका नम्बर–7 सामाजिक विधानों के प्रति वैवाहिक स्तर के सापेक्ष जागरूकता की स्थिति

क्रमांक	वैवाहिक स्तर	अभिवृत्तियाँ			योग
		जागरूक	अजागरूक	उत्तर नहीं दिए	
1	विवाहित	180 (64.28)	85 (30.35)	15 (5.35)	280
2	विधवा	10 (62.5)	6 (37.5)	00 (00.00)	16
3	तलाकशुदा	02 (50.00)	02 (50.00)	00 (00.00)	04

	योग	192 (64.00)	93 (31.00)	15 (5.00)	300

उपरोक्त तालिका नम्बर–7 के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कुल निदर्शित 300 महिलाओं में 280 विवाहित, 16 विधवा एवं 4 तलाकशुदा चुनी गई हैं। निदर्शित 280 विवाहित महिलाओं में 180 (64. 28) जागरूक, 85 (30.35) अजागरूक तथा 15 (5.35) ने कोई उत्तर नहीं दिया। 16 विधवाओं में से 10 (62.5) जागरूक, 6 (37.5) अजागरूक पाई गई। 4 तलाकशुदा निदर्शितों में 2 (50.00) जागरूक, 2 (50. 00) अजागरूक पाई गई। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामाजिक विधानों के प्रति विवाहित महिलाओं में जागरूकता अधिक पाई गई है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : शोधार्थी ने सामाजिक विधानों के प्रति हिन्दू महिलाओं की चेतनता का अध्ययन करने के लिए जाति, उम्र, शिक्षा, आर्थिक स्तर, वैवाहिक स्तर तथा ग्रामीण नगरीय परिवेश को विभिन्न संकेतक मानकर तथ्य संकलित करने का प्रयास किया गया है। उक्त तथ्यों के विश्लेषण करने के पश्चात् स्पष्ट होता है कि सामाजिक विधानों के प्रति चेतनता अधिक न होने के कारण हिन्दू महिलाएँ विशिष्ट सामाजिक विधानों से कम लाभान्वित हो पा रही हैं। अर्थात् महिलाओं में सामाजिक विधानों की जानकारी की अत्यन्त आवश्यकता है। महिलाओं में सामाजिक विधानों के प्रति चेतनता जनित करने हेतु निम्नांकित सुझाव कारगर हो सकते हैं।

शोधार्थी ने सूचनादाताओं से प्रश्न किए कि सामाजिक विधानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के सन्दर्भ में सुझाव दें तो प्रत्युत्तर में शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया कि सामाजिक विधानों को कड़ाई के साथ लागू किया जाए तथा दोषी व्यक्तियों को कठोर से कठोर दण्ड का प्रावधान किया जाए ताकि सामाजिक विधानों के उल्लंघन करने वालों से समाज के अन्य व्यक्ति भी सबक लें। सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर न हो तो सामाजिक विधान हिन्दू महिलाओं की प्रस्थिति सुधारने में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम होंगे।

सन्दर्भ सूची

1. होल्म्स पी.के. सोशल लेजिस्लेशन; इट्स रोल इन सोशल वेलफेयर, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया पब्लिकेशन्स, 1956, पृ. 32
2. रस्तोगी अरुन "स्टेट्स ऑफ वूमेन" इण्डियन काउन्सिल ऑफ स्पेशल साइंस रिसर्च पब्लिकेशन्स न0 107, 1977
3. वाडिया एस.एच. आधुनिक भारत में सामाजिक समस्याएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी (राज.) जयपुर 1983 पृ. 57
4. अग्रवाल ऊषा दहेज एवं आत्महत्याएँ, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, 23 सितम्बर 1990, पृ. 8
5. सिंह एस.डी. वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर, 1986, पृ. 5